न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 543/2018 निर्णय दिनांक :–17.07.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र

कृष्णा जोधावत (रायपुरिया) पत्नी अनुराग रायपुरिया जाति बलाई निवासी मकान नं. 19, हरिविलास शारदा मार्ग, सिविल लाईन्स अजमेर जिला अजमेर राज **–प्रार्थीया–**

बनाम

1. तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक
2. रामविलास पुत्र रामकिशन जाति कुमावत निवासी रामथला तहसील देवलो जिला टोंक
3. दुर्गालाल उर्फ पप्पु पुत्र रामकिशन जाति कुमावत निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थितिः–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीया

श्री बाबू लाल मीणा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजियात ख. नं. नम्बर 326 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक मे स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी के खेत में आने–जाने के लिऐ कोई रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थीया को अपने खातेदारी के खेत को काश्त करने में काफी परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है। प्रार्थीया अपने खेत को समय पर काश्त नहीं कर पायेगी तो प्रार्थीया को काफी आर्थिक नुकसान होगा। वर्तमान में प्रार्थीया ख. नं. 290/1757 के पश्चिम दिशा, खसरा नम्बर 294 के भी पश्चिम दिशा की तरफ से एवं खसरा नम्बर 295/1747 की पूर्वी मेर पर होकर आती–जाती है, प्रार्थीया को उपरोक्त वर्णित ख. नं. नम्बरान में से 30 फिट चौडा अपने खोत में जाने–जाने के लिऐ चाहिए । उक्त रास्ता ख. नं. 300 में जाकर मिल जाता है जोकि गे. मु. रास्ता है। प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नक्शों में ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी– एच– अक्षर से दर्शाया गया है। उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है उक्त रास्ते को संलग्न नक्शे में लाल रंग से भी प्रदर्शित किया है। प्रार्थीया द्वारा जो रास्ता चाहा गया है उसमें ख. नं. नम्बर 290/1757 व ख. नं. 295/1747 वर्तमान मे राजकीय सिवायचक भूमि है तथा ख. नं. 294 प्रतिपक्षीगण नं. 2 व 3

की खातेदारी में है । प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत में आने–जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थीया नियमानुसार डी–एल–सी– रेट से दुगनी राशि जमा कराने को तैयार है। विवादग्रस्त आराजियात व पक्षाकारान श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251–ए– राज0 टि0 एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्टफीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251– ए– राज0 टि0 एक्ट अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की जमीन ख. नं. 326 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक मे आने–जाने के लिए ख. नं. 290/1757 की पश्चिम दिशा, ख. नं. 294 की भी पश्चिम दिशा की तरफ एवं ख. नं. 295/1747 की पूर्वी मेर पर होकर जिसे संलग्न नक्शों में लाल रंग से व अक्षर ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी–एच से दर्शाया गया है, में 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से श्री बाबूलाल मीणा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

तहसीलदार देवली ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्राकर है:– प्रार्थी के आराजी तक पहुंच मार्ग के लिए वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक नहीं है। 2 प्रस्तावित रास्ते की चोड़ाई 10 मी0 लम्बाई 156 मी0 जिसका कुल क्षेत्रफल 1560 वर्ग मी0 अर्थात 0.156 है0 है । खसरा नं0 297 रकबा 0.56 है0 में से लम्बाई 36 मी0 व चौड़ाई 10 मी0 अर्थात 360 वर्ग मी0 होगी, खसरा नं0 295/1747 रकबा 0.43 है0 में से लं0 12 मी0 व चौड़ाई 10 मी0 अर्थात 120 वर्ग मी0 होगी, ख0नं0 296 रकबा 0.29 है0 में से लं. 108 मी0 व चौडाई 10 मी0 अर्थात 1080 वर्ग मी0 भूमि गै. मु. रास्ते के लिए प्रस्तावित है। रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर प्रति है0 है जिसकी एक गुना राशि 47877 रू तथा दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 95754 रू. होती है। आवेदक की भूमि खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 326/1.28 है0 में आने के लिए ख. नं. 297, 295/1747 व 296 में से रास्ता चाहता है जिसको नवशा ड्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना दीवार पेड़ आदि नहीं है।। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है व प्रार्थी को आराजी स्थल तक पहुंचने के

लिए रिकार्डेड रास्ता बना हुआ है। जिसमें से साधन आते जाते है। लेकिन प्रार्थी अप्रार्थी के खातेदारी में से रास्ता लेकर रिकॉर्डेड रास्ते में जोड़ना चाहता है जो रास्ता देना उचित नहीं है।. प्रस्तावित रास्ता अब्दुर रहमान प्रकरण से संबंधित नहीं है। अतः नकल जमाबन्दी नक्शा देस खसरा गिरदावरी एवं डीएलसी दर की छाया प्रति संलग्न कर रिपार्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट बिना मौका देखे पेश की है। अतः प्रार्थी को किसी भी तरह से रास्ता दिलाये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में तहसीलदार की रिपोर्ट के तथ्यो को सही बताते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के लिए वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है और प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है व प्रार्थी को आराजी स्थल तक पहुंचने के लिए रिकार्डेड रास्ता बना हुआ है। जिसमें से साधन आते जाते है। लेकिन प्रार्थी अप्रार्थी के खातेदारी में से रास्ता लेकर रिकॉर्डेड रास्ते में जोड़ना चाहता है जो रास्ता देना उचित नहीं है। पत्रावली में शामिल जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 1 में वर्णित ख. नं. 300 राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज है, जो प्रार्थीया का ख. नं. 326 के सटवा है। अतः रिकॉर्डेड रास्ते की उपलब्धता होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/7/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली